वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा...

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

समाहरणालय
12 NOV 2011
मोतिहारी

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 24/10/11

एस0ओ0 सं0– I/एम1– 190/2005– 3216 /भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–9 की उप–धारा (1) के खण्ड–'क' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत निम्नलिखित वर्ग के दस्तावेजों पर उनके सामने दर्शायी गयी सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट स्वीकृत की जाती है: –

क्रम सं0	दस्तावेजों के प्रकार और उनके ब्योरे	स्टाम्प शुल्क में स्वीकृत की गयी छूट
(i)	राज्य के औद्योगिक भूखण्ड/शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र से बाहर स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के लीज/बिक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों मे निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में	प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100%)।
(ii)	कार्यरत औद्योगिक इकाईयाँ जिनकी उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो के विस्तार (Expansion) अथवा विशाखन (Diversification) हेतु मात्र विस्तारीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि के लीज/बिक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में	प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100%)।

130
12/11/11

6
12/11/11

Rh. 5570
9/11/11

26
14/11/11

02. उपर्युक्त छूट मात्र प्रथम संव्यवहार में लीज/बिक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों पर प्राप्त होगी।

03. यह छूट 01 जुलाई 2011 से अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

04. वैसी इकाईयाँ जिनके द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि का क्रय लीज/बिक्रय–पत्र/अंतरण दस्तावेजों के माध्यम से कर लिया जाता है एवं छूट का उपभोग नहीं किया गया हो उन्हें उत्पादन के पश्चात् (Post Productive stage) उद्योग विभाग के उत्पादकता प्रमाण–पत्र एवं प्राधिकार–पत्र पर अनुमान्य छूट की राशि की प्रतिपूर्त्ति होगी।

05. उपर्युक्त छूट उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि का विवरण एवं अवस्थिति के विवरण के साथ निवेशकों के नाम से निर्गत प्राधिकार–पत्र पर दी जायेगी।

06. यदि प्राइवेट सेक्टर में निजी निवेशक उद्योग की स्थापना के लिए प्राप्त की गई उपर्युक्त छूट का उपभोग कर निवेशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं तो दी गई छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

एस.ओ.सँ0– I/एम[1]–190/2005– 3216 /, पटना, दिनांक– 24/10/11

प्रतिलिपि– उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

Government of Bihar
Department of Registration, Excise & Prohibition
(Registration)

Notification

Patna, Dated: 24/10/11

S.O. No.- I/M[1]- 190/2005- 3216 /In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act 1899 stamp duty is exempted by the Governor of Bihar under Industrial Incentive Policy 2011 on the following class of documents up to the limits as shown against them: -

Sl. No.	Type of documents & description	Exemption sanctioned in the Stamp duty
(i)	The Stamp duty for registering deeds related to lease/purchase/ transfer of industrial plots/shed of the State and land outside the authority area for the purpose of establishing industries by the private investors.	100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.
(ii)	The Stamp duty for registering deeds related to lease/ purchase/ transfer of additional land for expansion or diversification of working industrial units in which the growth of production capacity is 50%	100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.

02. The aforesaid exemption shall be permitted on the first transaction.

03. This exemption shall be valid for five years from 01.07.2011.

04. Those units which have purchased land by lease/sale/transfer deeds for establishing industries and have not availed the exemption shall be eligible for refund of the amount equal to exemption allowed after post productive stage on the production of authority letter and certificate of production by the Industries Department.

05. The above exemption shall be permitted on an authority issued for this purpose in the name of investors by the Department of Industries with details of land and its location.

06. In case, the private investor after getting the benefit of exemption for establishing industries do not follow intoto prescribed industrial policies of the State Government regarding the investment, the amount of exemption shall be recovered from the investor by the Department of Industries.

By the order of the Governor of Bihar,

Sd./-
(Amir Subhani)
Secretary to Government.

ज्ञापांक– I/एम[1]– 190/2005– /, पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपि– वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– I/एम[1]– 190/2005– /, पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– I/एम[1]– 190/2005– 3216 /, पटना, दिनांक– 24/10/11
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/मंत्री, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22.10.11
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।